



10=00

### केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना देने की तारीख	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर	नकल वापिस दिये जाने की तारीख
45 09/01/17	09/01/17	09/01/17	



251

न्यायालय उप जिलाधिकारी मधुवन मऊ

मु0 नं0 280

मौजा- गंगऊपुर मऊ

तपेश्वर धर्मेश्वर प्रसाद समाज सेवा ट्रस्ट

बनाम

परगना- नत्थूपुर जिला- मऊ

उ0 प्र0 सरकार

उत्तर प्रदेश जमीनदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के तहत आवेदन पत्र तपेश्वर धर्मेश्वर प्रसाद समाज सेवा ट्रस्ट गंगऊपुर मऊ के मुख्य ट्रस्टी विजयमल यादव पुत्र श्री स्व0 धर्मेश्वर यादव के तरफ से इस आशय का दायर किया गया है कि मौजा- गंगऊपुर परगना- नत्थूपुर जिला- मऊ भूमि खाता सं0 123 के गाटा सं0/रकबा 620घ/1.039, 625ख/0.374हे0 कुल 2 गाटा/1.413 हे0 व खाता सं0 122 के गाटा सं0/रकबा 621/1.919, 622/0.115, 623क/0.223, 624/0.049, 625क/0.985, 628/0.061, 629/0.142हे0 कुल 7 गाटा/3.49हे0 सम्पूर्ण गाटा 9/4.907हे0 संक्रमणीय भूमिधर एवं अधिपत्य भोगी है। प्रश्नगत भू भाग में विद्यालय/कालेज का भवन बन रहा है जिसमें कृषि कार्य नहीं होता है। मौके पर अकृषक हो गयी है। स्थलीय जॉच के पश्चात् प्रश्नगत भू भाग को अकृषक घोषित करने की मांग किया गया है।

प्रार्थना पत्र की जॉच तहसीलदार से करायी गयी स्थलीय एवं अभिलेखी जॉच के पश्चात निर्धारित प्रारूप पत्र पर आख्या प्रेषित की गयी है की मौजा- गंगऊपुर परगना- नत्थूपुर जिला- मऊ की उपरोक्त भूमि खाता सं0 123 के गाटा सं0/रकबा 620घ/1.039, 625ख/0.374हे0 कुल 2 गाटा/1.413 हे0 व खाता सं0 122 के गाटा सं0/रकबा 621/1.919, 622/0.115, 623क/0.223, 624/0.049, 625क/0.985, 628/0.061, 629/0.142हे0 कुल 7 गाटा/3.49हे0 सम्पूर्ण गाटा 9/4.907हे0 भूमि तपेश्वर धर्मेश्वर प्रसाद समाज सेवा ट्रस्ट गंगऊपुर मऊ द्वारा मुख्य ट्रस्टी विजयमल यादव पुत्र श्री स्व0 धर्मेश्वर यादव के नाम संक्रमणी भूमिधरी की भूमि है जो कालेज हेतु उपभोग की जा रही है जिस पर कृषि कार्य नहीं होता है अकृषक घोषित करने हेतु आख्या प्रस्तुत की गयी है।

नियम अधिनियम को सुना गया पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य कागजात एवं तहसीलदार की आख्या का अवलोकन किया गया है पत्रावली पर उपलब्ध कागजात एवं तहसीलदार मधुवन मऊ की आख्या अनुसार अराजी सं0/खाता सं0 123 के गाटा सं0/रकबा 620घ/1.039, 625ख/0.374हे0 कुल 2 गाटा/1.413 हे0 व खाता सं0 122 के गाटा सं0/रकबा 621/1.919, 622/0.115, 623क/0.223, 624/0.049, 625क/0.985, 628/0.061, 629/0.142हे0 कुल 7 गाटा/3.49हे0 सम्पूर्ण गाटा 9/4.907हे0 भूमि में कृषि कार्य नहीं होता है मौके पर अकृषक हो गयी है। मौके की स्थिति के अनुसार अकृषक किया जाना औचित्य पूर्ण है।



आदेश

251

पत्रावली पर उपलब्ध कागजात एवं तहसीलदार मधुवन मऊ की आख्या के अनुसार मौजा- गंगऊपुर परगना- नत्थूपुर जिला- मऊ के उपरोक्त भू खण्ड खाता सं० 123 के गाटा सं०/रकबा 620घ/1.039, 625ख/0.374हे० कुल 2 गाटा/1.413 हे० व खाता सं० 122 के गाटा सं०/रकबा 621/1.919, 622/0.115, 623क/0.223, 624/0.049, 625क/0.985, 628/0.061, 629/0.142हे० कुल 7 गाटा/3.49हे० सम्पूर्ण गाटा 9/4.907 हे० पूरे भू खण्ड को अकृषक घोषित किया जाता है तदनुसार अभिलेख संशोधन हेतु परवाना अमल दरामद जारी हो। आवश्यक अनुपालन के पश्चात् पत्रावली दाखिल दफतर हो।

दिनांक : 10/12/2015

नकलकर्ता .....  
तुलनाकर्ता .....  
शब्द लगभग ..... 450 .....

पेशवा  
03/11/17  
उपजिलाधिकारी  
मधुवन, मऊ



10/12/15  
जिला अधिकारी  
मधुवन मऊ